

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 54(9)ग्रावि/नरेगा/वि0स0 सत्र 6/10-11

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

15 FEB 2011


विषय :- नरेगा कार्यों के संपादन के दौरान दृष्टिगोचर होने वाली गंभीर अनियमितताओं के संबंध में की जाने वाली जांच प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार को ज्ञात हुआ है कि अनेक बार नरेगा कार्यों के संपादन के दौरान गुपचुप तरीके से गंभीर अनियमिततायें यथा तकमीने और तकनीकी स्वीकृति में नरेगा अधिनियम-2005 की अनुसूची 1 के पैरा 12 में अनुमत गतिविधियों पर मशीनों के उपयोग संबंधी आईटम के नहीं होने पर भी मशीन का उपयोग किये जाने जैसी शिकायतें प्राप्त होती है, जिनमें रूटीन एवं नियमित रूप से अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जांच करवाकर यह लिख दिया जाता है कि शिकायत असत्य पायी गयी।


इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकार की गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जांच स्वयं आपके द्वारा अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय द्वारा 7 दिवस में पूरी की जाकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जावे एवं इस प्रकार की शिकायतों के जांच के कार्य को अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जावे।

भवदीय,

  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम,  
जिला परिषद भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित हैं।

  
15/2/11  
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस